न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/509

भंवर लाल आत्मज गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम नाहरगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी।
———अपीलान्ट

बनाम

1. श्री किशन आत्मज बरधा जाति बैरवा निवासी ग्राम नाहरगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. आवंटन सलाहकार सतिति नैनवा जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 31.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सीलिंग प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा भूमि खसरा संख्या 136 ग्राम नाहरगंज अधिग्रहण की जाकर आवंटन की गई थी । उक्त भूमि में से 15 बीघा भूमि अप्रार्थी श्री किशन को कीमतन दिनांक 25.10.1975 को आवंटित की गई । उक्त आवंटन विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । आवंटी वक्त आवंटन भूमिहीन कृषक नहीं था अपितु आवंटी के पिता बरधा के खाते में 42 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित थी । आवंटी ने हल्का पटवारी से भूमिहीन होने से मिथ्या रिपोर्ट प्राप्त करके छल एवं कपट पूर्वक आवंटन करवाया है । आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है । प्रार्थी के खातेदारी की भूमि आवंटी को आवंटित भूमि के समीप है । तत्पश्चात् प्रार्थी के खाते की भूमि के नम्बर 136/1 दर्ज कर दिये जिसका तत्कालीन नक्शा ट्रेस संलग्न है तथा अप्रार्थी कम 1 को आवंटनशुदा भूमि के खसरा नम्बर 136/604 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करके प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 136/1 का कुछ हिस्सा राजस्व नक्शे में अप्रार्थी कम 1 को आवंटित भूमि जिसको नक्शे में 136/604 दर्ज किया गया शामिल कर दिया प्रार्थी अपने खाते की भूमि पर काबिज है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में जारी आवंटन आदेश दिनांक 25.10.1975 निरस्त फरमाया जावे तथा तहसीलदार नैनवा को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 136/1 के किसी भी भाग को अप्रार्थी को आवंटित भूमि के रूप में राजस्व नक्शे में न दर्शाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.04.2013 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 25.10.1975 बहाल रखा ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.04.2013 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन नियमों के विपरीत जाते हुए निर्णय पारित किया है । आवंटन नियमों के तहत प्रथमदृष्टया व्यक्ति को भूमिहीन होना चाहिए जबकि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पिता के खाते में लगभग 45 बीघा कृषि भूमि वक्त आवंटन मौजूद थी । पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवंटन विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए उक्त निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.04.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अभिभाषक को नियुक्त किया था और उन्होंने प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने से मना कर दिया और आवश्यकता होने पर सूचित करने के लिए परन्तु उनके अभिभाषक द्वारा अपीलान्ट को उक्त निर्णय के बाबत् कोई सूचना नहीं दी गई । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04.06.2013 को अपने वकील साहब से सम्पर्क करने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

9. हमने प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेज संलग्न किये हैं उनमें उपखण्ड अधिकारी, नैनवा द्वारा पारित निर्णय एवं पत्र दिनांक 01.06.2015 की प्रमाणित प्रतियॉं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 1980 की प्रमाणित प्रति, नकल नामान्तरकरण की फोटो प्रति, पटवारी हल्का की रिपोर्ट की फोटो प्रति, आवंटन आदेश की फोटो प्रति संलग्न की गई हैं । उक्त दस्तावेजात में उपखण्ड अधिकारी, नैनवा द्वारा पारित

निर्णय दिनांक 01.06.2015 एवं पत्र दिनांक 01.06.2015 व निर्वाचक नामावली प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । शेष दस्तावेजात फोटो प्रतियॉ हैं जिन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता । अतः प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज जो प्रमाणित प्रतियॉ हैं उन्हें रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है । आवंटन नियमों के अनुसार आवंटी भूमिहीन होना चाहिए । रेस्पोडेन्ट के पिता के खाते में लगभग 45 बीघा भूमि वक्त आवंटन मौजूद थी । पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवंटन विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । रेस्पोडेन्ट आवंटी के द्वारा आवंटन के पश्चात् राशि जमा नहीं करवायी गई है फिर भी आवंटन को बहाल रखा गया है । खसरा नम्बर 136 में से 15 बीघ 02 बिस्वा आराजी का आवंटन किया गया है जबकि आवंटन आदेश में 15 बीघा भूमि का आवंटन किया जाना अंकित है । रेस्पोडेन्ट के पिता बरधा के रेस्पोडेन्ट के अलावा कोई संतान नहीं है इन सब तथ्यों को छुपाते हुए आवंटन करवाया है जो विधि – विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट खसरा नम्बर 136 का रिकॉर्डेड खातेदार है व राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे के मुताबिक खसरा नम्बर 136 का कुछ भाग रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को किये गये आवंटन में अंकित किया हुआ है । अपीलान्ट की भूमि भी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के आवंटित भूमि में सम्मिलित होने से अपीलान्ट को उक्त आवंटन के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने का अधीनस्थ न्यायालय में पूर्ण अधिकार था परन्तु इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.04.2013 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2015 (1) आरआरटी पेज 534, आरआरटी 2016 (2) पेज 1295, आरआरडी 2001 पेज 142, आरआरडी 1990 पेज 465 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने 14 (4) का प्रार्थना पत्र आवंटन के 36 वर्ष बाद पेश किया है । आवंटन कपटपूर्ण एवं मिथ्या वचनों के आधार पर किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है । यदि उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार को आवंटन निरस्ती के बाबत् कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं तो वो रेस्पोडेन्ट एवं सरकार के मध्य का मामला है । अपीलान्ट को इस आधार पर रेस्पोडेन्ट के आवंटन को निरस्त कराने का काई विधिक अधिकार नहीं है । अपीलान्ट को कोई लोकसस्टेण्डाई नहीं है । अपीलान्ट को आंवटित आराजी और रेस्पोडेन्ट को आवंटित आराजी दोनों अलग–अलग हैं । अतिक्रमी को आवंटन आदेश को चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गंभीर रूप से अवधि बाधित था । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.04.2013 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थ में आरआरटी 2011 (1) पेज 383, आरआरटी 2006 (2) पेज 1173, आरआरटी 2007 (2) पेज 1081, आरआरटी 2009 (2) पेज 1273, आरआरटी 2010 (1) पेज 158 उद्धरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–राजस्व अधिनियम के आवंटन आदेश दिनांक 25.10.1975 के खिलाफ सन् 2011 में पेश किया है और यह कथन किया है कि आवंटी भूमिहीन नहीं है उसके पिता के खाते में 42 बीघा 19 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज है जिसकी नकल जमाबन्दी संवत् 2034 से 2036 पेश की है । अप्रार्थी के द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई, आवंटन छल, कपट से करवाया गया है आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रार्थी को आवंटित आराजी का कुछ हिस्सा नक्शे में अप्रार्थी को आवंटित आराजी में शामिल कर दिया गया है जिसमें उनका कब्जा नहीं है । प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन आदेश दिनांक 25.10.1975 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जिसमें आवंटी श्रीकृष्ण को 15 बीघा भूमि आराजी खसरा नम्बर 136 की आवंटित किया जाना अंकित है । नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 के अनुसार खसरा नम्बर 136/604 की 15 बीघा 02 बिस्वा भूमि श्रीकिशन वल्द बरधा के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2034 से 2037 के अनुसार बरधा पुत्र सुखा के खाते में कुल 03 किता की 42 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 के अनुसार भंवरलाल वल्द गंगाराम के खाते में 03 किता की 20 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज है । नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियॉ भी पत्रावली में संलग्न हैं।

14. अपीलान्ट के द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में धारा 14 (4) का प्रार्थना पत्र पेश किया है कि आवंटी भूमिहीन नहीं था और उसने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है । अपने इन कथनों के समर्थन में उनके द्वारा संवत् 2034 से 2037 की नकल जमाबन्दी पेश की है जिसके अनुसार कुल 03 किता की 42 बीघा 19 बिस्वा भूमि बरधा पुत्र सुखा के खाते में दर्ज है । अपीलान्ट का यह कथन है कि बरधा पुत्र सुखा का एकमात्र पुत्र आवंटी है इस नाते आवंटन के समय वह भूमिहीन नहीं था । उनके द्वारा निर्वाचन नामावली की सूची पेश की गई है जिसमें श्रीकृष्ण को बरधा का पुत्र बताया गया है । इस क्रम में हमारा मत है जो नकल जमाबन्दी पेश की गई है वह संवत् 2034 से 2037 की है तद्नुसार यह वर्ष 1977 से 1980 है । आवंटन सन् 1975 में किया गया है । दूसरा यहॉ पर जो नकल जताबन्दी बिरधा की पेश की गई है वो रेस्पोडेन्ट के पिता हैं और उनका एक मात्र वारिस रेस्पोडेन्ट है । इन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए पटवारी हल्का अथवा तहसीलदार की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है । इस प्रकार अपीलान्ट अपने कथनों को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये हैं । जहॉ तक उपखण्ड अधिकारी के द्वारा आवंटी का कब्जा नहीं होने के आधार पर तहसीलदार के 14 (4) की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करने का प्रश्न है इस आधार पर अपीलान्ट को आवंटन निरस्त कराने का कोई अधिकार नहीं है । तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी के निर्देशों की पालना में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है । तहसीलदार इन तथ्यों की भी जॉच करने के लिए स्वतंत्र है कि वक्त आवंटन आवंटी भूमिहीन था अथवा नहीं और तद्नुसार विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है । अपीलान्ट अपने प्रार्थना पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये हैं ।

15. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट ने सन् 1975 के आवंटन के खिलाफ सन् 2011 में प्रार्थना पत्र पेश किया है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । आरआरडी 2011 पेज 383 यहॉ चस्पा होती है ।

16. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । पैरा संख्या 14 में किये गये विवेचन के अनुसार तहसीलदार जॉच करने एवं आवंटन निरस्त करने हेतु वांछित कार्यवाही एवं उपखण्ड अधिकारी, नैनवा के आदेश दिनांक 01.06.2015 की अनुपालना में अग्रिम कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

18. निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा